कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-42/2016-17/

दिनांक : /12/2016

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत- देवप्रयाग (हिंडोलाखाल)

जिला- टिहरी गढ़वाल

विषय : क्षेत्र पंचायत देव प्रयाग (हिंडोलाखाल)का वर्ष 2014-15 से 2015-16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 4 (ब)-1 में **शून्य** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **06** प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 42/2016-17/ **दिनांक: /12/2016**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0पार्क के पास, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

4- जिला पंचायतराज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 20 -20 के लिये क्षेत्र पंचायत देव प्रयाग (हिंडोलाखाल)पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

(i) श्री जयपाल सिंह पवाँर - अध्यक (क्षेत्र पंचायत)

(ii) श्रीमती सुधा तोमर खण्ड़ विकास अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम (i) श्री अशोक कुमार, (व.ले.प.अ.)

(ii) श्री प्यारे लाल शर्मा, स.ले.प.अ.

(iii) श्री सतेन्द्र कुमार (स.ले.प.अ.)

(स) संप्रेक्षा तिथि 23.08.2015 से 31.08.2015 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2015-16

भाग-दो

परिचयात्मक :

1.पंचायतीराज संस्था का नाम: **क्षेत्र पंचाय - देव प्रयाग**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो:- क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या:-

(ब) उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः- 116

भौगोलिक क्षेत्र :--

जनसंख्या : 51713

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 650

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 04

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या: 06 बैठक: 04

5- कर्मचारियों की संख्या : 18

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : - विवरण सलंग्न

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :-

9- (अ) सामाजिक संरक्षा

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें:-

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय :-

(अ) सामान्यः-

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है- हाँ

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः कार्यालय **खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत, देवप्रयाग (हिंडोलाखाल)** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ., श्री प्यारे लाल शर्मा, स.ले.प.अ., तथा श्री सतेन्द्र कुमार, स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 23.08.2016 से 31.08.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर**	**प्रस्तर**
(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर		**भाग 4(ब)-1**	**भाग 4(ब)-2**

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग**
		प्रस्तरों की संख्या
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर: -		

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची: -

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख:-

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 1:- कार्यालय की विधायक निधि के अन्तर्गत ` 439.80 लाख की धनराशि के कार्यों का अपूर्ण रहना।

कार्यालय की विधायक निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले लघु निर्माण कार्य 04 से 06 महीनो में पूर्ण कर लिए जाने चाहिए जैसा कि कार्यालय के कार्यादेश में दर्शाया गया है जिससे की आमजन को उसका लाभ/सुविधाये मिल सके ओर सरकार के द्वारा परिलक्षित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

कार्यालय की विधायक निधि के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ` 439.80 लाख की धनराशि के कुल 240 कार्य (संलग्नक के अनुसार) लेखापरीक्षा तिथि तक अपूर्ण पाये गये जिनमें कार्यालय को ` 322.54 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी जिसके सापेक्ष कार्यालय के द्वारा ` 187.57 लाख की धनराशि का खर्च दर्शाया गया था।

इंगित किये जाने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि 182 कार्य प्रगति पर है तथा शेष अनारम्भ कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ कराया जायेगा तथा कार्यों को पूर्ण करवाने हेतु संबन्धित कर्माचारियों को दो बार नोटिस जारी किये जा चुके है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभागीय शिथिलता के कारण उक्त कार्य समय से पूर्ण नहीं किए जा सके और कार्य वित्तीय वर्ष 2009-10 से कार्य अपूर्ण पाये गये थे जिस कारण आमजन को उसका लाभ/सुविधाये समय से नहीं मिल सकी और सरकार के द्वारा परिलक्षित उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं हो सकी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 2:- कार्यालय की विधायक निधि के अन्तर्गत ` 187.57 लाख की धनराशि का असमायोजित रहना।

किसी भी निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिये अवमुक्त की गई धनराशि को शीघ्र ही समायोजित किया जाना चाहिये जिससे कि कर्मचारियों को दिये जाने वाले अग्रिम के दुरुपयोग से बचा जा सके जैसा कि वित्तीय नियमों में बताया गया है और अन्य किसी भी प्रकार की क्षति से बचा जा सके।

कार्यालय की विधायक निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की अग्रिम पंजिका की जाँच में पाया गया कि कुल ` 187.57 लाख की धनराशि का समायोजन लंबित था जो कर्मचारियों को कार्यों के निष्पादन हेतु दिया गया था।

इंगित किये जाने पर कार्यालय के द्वारा बताया गया कि कार्यों के सम्पादन हेतु श्रमिकों के भुगतान हेतु अग्रिम भुगतान किया जाता है तथा कर्मचारियों के स्थानांतरण होने के कारण समायोजन समय पर प्राप्त नहीं हो पाये जिनको नोटिस जारी किये जा चुके है समायोजन प्राप्त होने पर अन्तिम भुगतान किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि श्रमिकों के भुगतान हेतु अग्रिम मस्टर रोल के आधार पर तुरंत भुगतान हेतु किया जाता है जिसका समायोजन एक सप्ताह के अन्दर कर लिया जाना चाहिए लेकिन विभागीय शिथिलता के कारण उक्त धनराशि का समायोजन नहीं हो सका और वित्तीय नियमों के अनुसार कोई कार्यवाही कार्यालय के सम्बन्धित कर्मचारियों पर नहीं की गई है इस प्रकार धनराशि के दुरुपयोग से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 3:- वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक विभिन्न खातों से ब्याज के रुप में प्राप्त धनराशि ` 10,33,955/- को राजकोष में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड़ शासन के पत्रांक संख्या 347/वि.आ.निदे. (तृ.रा.वि.अ.)/2013 दिंनाक 17 जनवरी 2013 के अनुसार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल धनराशि एवं उस पर ब्याज के वर्षवार विवरण को उपलब्ध कराते हुये ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना चाहिये।

क्षेत्र पंचायत देवप्रयाग, जनपद-टिहरी के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि इकाई को वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक विभिन्न बैंक खातों से ब्याज के रुप में ` 10,33,955/- की धनराशि प्राप्त हुई थी। उक्त धनराशि लेखापरीक्षा की तिथि 31.08.2016 तक इकाई के खाते में लंबित पड़ी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कर लेखापरीक्षा को अवगत किया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना चाहिए था।

ब्याज के रुप में प्राप्त धनराशि ` 10,33,955/- इकाई के खाते में लंबित रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 4:- विभिन्न मदों के अन्तर्गत ` 8,53,684/- के अनारम्भ कार्य।

खण्ड विकास कार्यालय क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न मदों के अन्तर्गत काराये जाने वाले निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा क्षेत्र पंचायत विकास निधि राज्य वित्त एवं बी.आर.जी.एफ. मद के अंतर्गत वर्ष 2012-13 से 2015-16 में 08 कार्य स्वीकृत किये गये थे। जिनकी स्वीकृत धनराशि ` 8,53,684/- थी। इन कार्यों को सम्बन्धित वर्षों में मार्च के अन्त तक समाप्त किया जाना था परन्तु लेखापरीक्षा की तिथि (31.08.2016) तक कार्य प्रारम्भ ही नहीं किये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि 07 कार्य प्रगति पर है तथा एक कार्य निरस्त किया गया है तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारियों को नोटिस द्वारा समायोजन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि एक से तीन वर्ष तक कार्यों का सम्पादन न होने के कारण सम्पूर्ण धनराशि ` 8,53,684/- असमायोजित है तथा सम्बन्धित कार्यों का लाभ स्थानीय जनता को नहीं मिल सका है जिसके कारण कार्य योजना के उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं हो पाई है।

अतः ` 8,53,684/- के कार्य अपूर्ण/अनारम्भ रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 5:- ` 7,28,000/- की धनराशि के असमायोजित अग्रिम।

क्षेत्र पंचायत देवप्रयाग द्वारा वर्ष 2011-12 से 2015-16 में क्षेत्र पंचायत विकास निधि, राज्य वित्त एवं बी.आर.जी.एफ. मदों के अन्तर्गत विभिन्न 09 ग्राम विकास अधिकारी को वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक कुल 15 कार्यों हेतु ` 7,28,000/- की धनराशि अग्रिम के रुप में विभिन्न चैकों के माध्यम से भुगतान किया गया था जिसका समायोजन नियमानुसार एक महीने के अन्दर प्रस्तुत करना आवश्यक था परन्तु एक से पाँच वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी न तो समायोजन प्रस्तुत किया गया था तथा न ही विभाग द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों से धनराशि की वसूली की गई थी जबकि दो ग्राम विकास अधिकारी श्री रजवन्त सिंह रागढ व श्री शिव प्रसाद यादव का स्थानान्तरण हो चुका है। वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों के अनुसार लम्बे समय तक शासकीय धनराशि का उपयोग न करना तथा धनराशि को अवरुद्ध रखना वित्तीय नियमों तथा शासकीय आदेशों का उल्लघंन है तथा गम्भीर अनियमितता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि अधिकतर समायोजन प्राप्त हो चुके है तथा सम्बन्धित कर्मचारियों को नोटिस जारी किये गये है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि धनराशि का समय से उपयोग न करने तथा अवरुद्ध रखने के कारण कार्य योजना का उद्देश्य विफल हो जाता है तथा भविष्य में सामग्री की मूल्य वृद्धि के कारण योजना पर व्यय होने वाली धनराशि में भी वृद्धि हो सकती है जिसके कारण अन्य योजनाओं पर प्रभाव पड़ सकता है।

अतः ` 7,28,000/- के असमायोजित अग्रिमों का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 6:- कार्यालय की विधायक निधि के अन्तर्गत ` 9.00 लाख की धनराशि के फर्नीचर का क्रय अधिप्राप्ति नियमावली के आधार पर न किया जाना।

उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार विधायक निधि के अन्तर्गत ` 3.00 लाख से अधिक की धनराशि की सामग्री का क्रय टेंडर के आधार पर किया जाना चाहिए इसके लिये लिमिटेड टेंडर किया जाना चाहिये।

खण्ड़ विकास अधिकारी विकास खण्ड़ देवप्रयाग के लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में विधायक निधि के अन्तर्गत ` 9.00 लाख की धनराशि के फर्नीचर का क्रय कोटेशन के आधार पर किया गया था जिसका उपयोग निम्न विद्यालयों में किया जाना था।

क्र.सं.	**विद्यालय का नाम**	**धनराशि (` लाख में)**	**कोटेशन की तिथि**
1.	रा.इ.का. हिंडालाखाल	3.00	23.02.20105
2.	रा.इ.का. हिसरियाखाल	3.00	23.02.20105
3.	रा.इ.का. सजवाणकाड़ा	2.00	23.02.20105
4.	सरस्वती शिशु मंदिर कांड़ाधार	1.00	23.02.20105

इंगित किये जाने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि सचिव, उत्तराखण्ड़ शासन के द्वारा विधायक निधि में 3.00 लाख तक के निर्माण कार्य मस्टर रोल/कोटेशन के आधार पर किये जाने के संबंध में पत्रांक स. 2508(i)14-86/2014 दिंनाक 23.12.2014 के द्वारा निर्देश दिये गये है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त क्रय ` 9.00 लाख की धनराशि का है जिसका क्रय खण्ड़ विकास अधिकारी, विकास खण्ड़ देवप्रयाग के द्वारा सम्मिलित रुप से टेंडर के आधार पर किया जाना चाहिए था न कि विभिन्न विद्यालय को स्वीकृत धनराशि के आधार पर।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **क्षेत्र पंचायत देवप्रयाग(हिंडोलाखाल), जनपद- टिहरी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,सी-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्था0नि0